प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 10.04.2026**

थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए लूट की घटना में वांछित ₹ 15000/- के पुरस्कार घोषित ईनामिया 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 09.01.2025 को वादी श्री राजकुमार उर्फ राजू पुत्र स्व0 गुरदयाल निवासी ग्राम बलुवापुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात अपनी कस्बा भाऊपुर स्थित न्यू मानसी ज्वैलर्स की दुकान बन्द कर अपने घर ग्राम बलुआपुर को वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में समय 16.50 बजे ग्राम भीखर के पास दो मोटर साइकिल पर सवार अज्ञात तीन चार लोगों द्वारा सोने-चांदी के आभूषण से भरे बैग को लूट लिया, जिसमें 10 ग्राम सोना व साढ़े पाँच सौ ग्राम चाँदी व नगद ₹ 25000/- थे। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 16.02.2025 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 62/2025 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्तगण 1. जाहिद पुत्र आबिद उर्फ बबलू निवासी सत्तेश्वर (पूर्वी) ब्लाक गेट के पीछे थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया, 2. रिहान पुत्र इश्तियाक उर्फ मुल्ला निवासी शक्ती तालाब तकिया थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया, 3.अरमान उर्फ अम्मू पुत्र बबलू निवासी ग्राम समरथपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया, 4. रिहान के साथ का लड़का नाम पता अज्ञात का नाम प्रकाश में आया। प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. जाहिद पुत्र आबिद उर्फ बबलू निवासी सत्तेश्वर (पूर्वी) ब्लाक गेट के पीछे थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया, 2. रिहान पुत्र इश्तियाक उर्फ मुल्ला निवासी शक्ती तालाब तकिया थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया को पूर्व में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा चुका है।

अभियुक्त अरमान उर्फ अम्मू पुत्र बबलू उपरोक्त फरार चल रहा था। फरार अभियुक्त अरमान उर्फ अम्मू पुत्र बबलू उपरोक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात द्वारा ₹ 15,000/- का ईनाम घोषित किया गया था। थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित/ पुरस्कार घोषित अभियुक्त अरमान उर्फ अम्मू पुत्र बबलू निवासी ग्राम समरथपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया को मुखविर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र शिवली में मैथा नहर पुल से दिनांक 09.04.2026 को समय 22.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त अरमान उर्फ अम्मू उपरोक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता –

अरमान उर्फ अम्मू उम्र 20 वर्ष पुत्र बबलू निवासी ग्राम समरथपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया।

अभियुक्त अरमान उर्फ अम्मू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 25/2025 धारा 304(2)/317(2)/ 61(2)(a) बीएनएस थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 62/2025 धारा 309(4) बीएनएस थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

प्र0नि0 श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह
उ0नि0 श्री सोमवीर सिंह
का0 1106 मनीष कुमार